यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल** के माह 04/2012 से 12/2016 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक एवं श्री एफ आर खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षागक द्वारा दिनांक 23.01.2017 से 27.01.2017 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री हनुमान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अमित टंडन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23/07/2012 से 26/07/2012 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2007 से 03/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- रामनगर, नैनीताल जनपद एवं अन्य क्षेत्रों के लोंगो को विभिन्न प्रकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं इससे संबन्धित सेवाएँ उपलब्ध करना।

3. (i) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (-)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय ₹		
2012-13	-	22.23	300.93	300.93	105.17	120.25	-	07.15
2013-14	-	07.15	344.06	344.06	156.67	157.72	-	06.10
2014-15	-	06.10	462.33	462.33	145.15	116.74	-	34.51
2015-16	-	34.51	605.64	605.64	203.23	228.43	-	09.31
2016-17 (upto Dec)	-	09.31	442.68	442.68	110.70	90.04	-	29.97

(ii) इकाई को बजट आवंटन कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हे इकाई (अ) श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किय जाय।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रामदत्त जोशी राजकीय संचुक्त चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रामदत्त जोशी राजकीय संचुक्त चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह फरवरी 2016 एवं जून 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधान बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1 ₹ 1.25 लाख TDS कटौती नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि।

Income Tax Act, 1961 के नियम 194 (C) के अनुसार Contractor, Sub-contractor/Firm-Agencies के बिलों को भुगतान की जाने वाली धनराशि से उस समय की दर से TDS की धनराशि को काटकर बिलों का अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी कार्यालय की DDO की होती है कि बिलों का भुगतान करते समय TDS की धनराशि काट कर भुगतान किया जाय एवं TDS की धनराशि को उपयुक्त लेखाशीर्ष के अंतर्गत राजकोष में जमा कर दिया जाय।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर, के द्वारा भुगतान किए गए Bills/Vouchers आदि की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि Contractor, Sub-Contractor/Firm-Agencies आदि के बिलों से TDS की धनराशि नहीं काटी जा रही है जिसके कारण राजकीय राजस्व की हानि होने के साथ ही ठेकेदार/फर्म आदि को अधिक भुगतान हो रहा था।

लेखापरीक्षा अवधि में भुगतान किए गए बिलों की लेखापरीक्षा के द्वारा नमूना जाँच हेतु लिए गए बिलों की भुगतान की धनराशि (₹ 30,000/- से अधिक के बिल) ₹ 6257696 (सूची संलग्न) मे से इकाई के द्वारा TDS की धनराशि (2% की वर्तमान दर) ₹ 125153.92 नहीं काटी गई जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने अपने उत्तर में बताया कि लेखा परीक्षा के दिशा निर्देशों का भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। अतः कार्यालय के द्वारा बिलों में से TDS की धनराशि की कटौती नहीं किए जाने के फलस्वरूप राजस्व हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

	फर्म/एजेन्सी का नाम/ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि		
	एजेन्सी/ठेकेदार का नाम	भुगतान की धनराशि	चैक सं0 एवं दिनांक
1	तसलीम लॉन्ड्री रुद्रपुर	47,430/-	048481/ 25/02/2016
2	युनिवर्सल इण्टरप्राइजेज देहरादून	1,41,46/-	048483/ 25/02/2016
3	समीक्षा इण्टरप्राइजेज देहरादून	1,74,299/-	048484/ 25/02/2016
4	एप्स फार्मास्यूटिकल प्र.लि. अल्मोडा	99,436/-	048487/ 25/02/2016
5	डोफोडिल्स फार्मास्यूटिकल प्र.लि. मेरठ	61,520/-	048490/ 25/02/2016
6	सी.एस. नेगी, रामनगर (कॉनट्रेक्टर)	1,41,458/-	051357/ 11/03/2016
7	मौ. निजाम ठेकेदार, रामनगर	1,46,000/-	051358/ 11/03/2016
8	मित्तल मैडीकोज, रामनगर	60,000/-	051362/ 11/03/2016
9	रूद्राक्ष सर्जीकल हल्द्वानी	1,26,893/-	051369/ 17/03/2016
10	तसलीम लॉण्ड्री, रुद्रपुर	25,797/-	051371/ 21/03/2016
11	मौ. असलन वैल्डिंग वर्क्स रामनगर	63,000/-	051378/ 21/03/2016
12	रिशब्द इण्टरप्राजेज देहरादून	1,72,563/-	051389/ 29/03/2016
13	इण्टरप्राजेज हल्द्वानी	75,376/-	051392/ 29/03/2016
14	मित्तल मैडीकोज, रामनगर	1,13,306/-	051393/ 29/03/2016
15	सी.एम.ओ. मैडिकल एण्ड सर्जीकल हल्द्वानी	68,951/-	051394/ 29/03/2016
16	किशन जोशी, रामनगर	30,880/-	051395/ 31/03/2016
17	अनिल फर्नीचर, रामनगर	50,734/-	051397/ 31/03/2016
18	मौ. निजाम ठेकेदार, रामनगर	35,091/-	051400/ 31/03/2016
19	हाजी मकबूल अहमद (राजकीय ठेकेदार) रामनगर	67,680/-	041013/ 01/05/2015
20	किशन जोशी (आहार का ठेकेदार) रामनगर	36,600/-	041014/ 01/10/2015
21	मि.एण्ड मि. होशपिटल एण्ड प्र.लि. बागेश्वर	93,653/-	040987/ 27/07/2015
22	सी.एस. नेगी (कॉनट्रेक्टर) रामनगर	1,41,548/-	045821/ 05/12/2015
23	सरस्वती प्रिन्टिंग प्रेस रामनगर	36,750/-	045835/ 07/01/2016
24	रिशब इण्टरप्राइजेज, 2.2	3,19,536/-	045840/ 21/01/2016
25	मित्तल इण्टरप्राइजेज रामनगर	2,29,935/-	040979/ 27/07/2016
26	सर्जीकल, काशीपुर	1,59,285/-	040981/ 27/07/2015
27	गर्ग एलेक्ट्रोनिक्स, रामनगर	1,43,285/-	040982/ 27/07/2015
28	हिमालयन सर्जीकल, नैनीताल	70,143/-	040986/ 27/07/2015
29	उन्हीं इण्टरप्राइजेज, हल्द्वानी	1,17,659/-	040988/ 27/07/2015
30	रूद्राक्ष सर्जीकल हल्द्वानी	1,23,083/-	040989/ 27/07/2015

31	ए एण्ड ए प्रेमचन्द्र लि. रूडकी	1,34,432/-	040996/ 27/07/2015
32	रिशब इण्टरप्राइजेज, 2.2	4,94,412/-	040997/ 27/07/2015
33	मित्तल मैडीकोज, रामनगर	2,55,558/-	040998/ 27/07/2015
34	मौ. निजाम ठेकेदार, रामनगर	1,19,230/-	040999/ 27/07/2015
35	किशन जोशी, लि. बागेश्वर	34,400/-	041002/ 20/08/2015
36	किशन जोशी, रामनगर	36,840/-	041010/ 03/09/2015
37	स्वास्तविक सौफ्टवेयर एण्ड आई.टी. सर्वेस, हल्द्वानी	89,250/-	041011/ 03/09/2015
38	अम्बीकल इण्टरप्राइजेज, हल्द्वानी	2,18,631/-	041004/ 20/08/2015
39	रूद्राक्ष सर्जीकल हल्द्वानी	5,00,420/-	045824/ 21/01/2016
40	किशन जोशी, रामनगर	48,000/-	045844/ 21/01/2016
41	मित्तल मैडीकोज, रामनगर	4,53,791/-	045845/ 21/01/2016
42	रूद्राक्ष सर्जीकल हल्द्वानी	1,67,400/-	045846/ 21/01/2016
43	मौ. तसलीम लॉण्ड्री, मुरादाबाद	1,22,921/-	048456/ 21/01/2016
44	रिशब इण्टरप्राजेज देहरादून	4,09,028/-	045847/ 21/01/2016

STAN

प्रस्तरः-1 ब्लड बैंक भवन के हस्तांन्नतरण के 05 वर्ष पश्चात भी उपयोग में न लाया जाना।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यदायी संस्थान, परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रामनगर द्वारा इकाई को माह नवम्बर 2011 में ब्लड बैंक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर, हस्तगत किया गया था। उपलब्ध करायें गये अभिलेखों में न तो इस कार्य का कार्य आदेश और न ही निर्माण की कुल लागत से सम्बन्धित कोई अभिलेख/आदेश उपलब्ध कराया गया। आगे जाँच में यह पाया गया कि उपरोक्त भवन हस्तगत होने की तिथि से अद्यतन (01/2017 तक) उपयोग में नहीं लाया जा रहा था अर्थात हस्तांतरण के 05 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी इस भवन का उपयोग नही किया जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि वर्तमान में ब्लडबैंक भवन से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही है एवं वाछित अभिलेखों/आदेशों को बाद में उपलब्ध करा दिया जायेगा। संचालन के संबंध में बताया गया कि उच्चाधिकारी सें पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ब्लड बैंक भवन के हस्तानतरण के 05 वर्ष बाद भी उपयोंग में नही लाया जा रहा था जिससे कि न केवल भवन के निर्माण का उदेश्य असफल रहा बल्कि इसका निरन्तर हास हो रहा है।

अतः ब्लड बैंक भवन के हस्तांन्नतरण के 05 वर्ष पश्चात भी उपयोग नें न लाये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर
AIR-120/2012-13	-	1,2	-

उक्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त उल्लिखित प्रस्तर अनुपालन आख्या के अभाव में यथावत रखे जाने की संस्तुति किया जाता है।

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-पाँच
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं नमूना लेखापरीक्षा की अनुपालन आख्याः-**
2. **सतत् अनियमितताएः- निरंकः-**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-**

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	डॉ के के जोशी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	07/07/2006- 07/08/2013 तक
2	डॉ एच एस खड़ायात	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	07/08/2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.